[99]

*मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) यह मध्यप्रदेश के ऐसे समस्त क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा जिनमें कि मध्यप्रदेश ध्वनि तथा कोलाहल नियंत्रण विधान, संवत् 2008 (क्रमांक 14, सन् 1951) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त था, और अन्य क्षेत्रों में ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ— इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "तीव्र संगीत" से अभिप्रेत है वह ध्वनि जो बैंड बैग पाइप क्लेरियोनेट, शहनाई, ड्रम, बिगुल, ढोल, डफ, डफड़ा, नगाड़ा, ताशा या झांझ पर या उससे निकाली गई हो और उसमें कोई ऐसी तीव्र ध्वनि भी सम्मिलित है जो किसी अन्य वाद्य या साधन द्वारा निकाली गई हो;

(ख) "ध्वनि विस्तारक" से अभिप्रेत है कोई ध्वनिवर्धक (एम्प्लीफायर) या कोई अन्य युक्ति (डिवाइस) जो ध्वनि के प्रवर्धन के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाती हो;

(ग) "कोलाहल" से अभिप्रेत है किसी भी स्रोत से निकाली गई इस प्रकार की ध्वनि जो किसी मामूली संवेदना ग्राहिता या संवेद्यता वाले किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक क्लेश पहुंचाती है या जिससे ऐसा क्लेश पहुंचाना संभाव्य है या जो अध्ययन में विघ्न पड़ना संभाव्य है;

(घ) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अधिकारी जो नायब तहसीलदार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, और जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने लिखित में इस निमित्त सशक्त किया हो;

(ङ) "लोक स्थान" से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान जिस तक जनता की पहुँच हो या जहां आने-जाने का जनता का अधिकार हो या जिस पर से निकलने का जनता को अधिकार हो और उसके अंतर्गत हैं :—

(एक) कोई सड़क या मार्ग, चाहे वह आम रास्ता हो या न हो;

(दो) वे दुकानें, होटल, उपहार-गृह जो पूर्वोक्त के पार्श्वस्थ हों;

(तीन) ऐसा अन्य स्थान जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(च) "मंद संगीत" से अभिप्रेत है ऐसी ध्वनि जो निम्नलिखित वाद्यों में से किसी भी वाद्य पर या उससे निकाली गई हो, अर्थात् —

(एक) सितार, सारंगी, इकतारा, वायलिन, बंसी, दिलरुबा, बीन, वीणा, सरोद, जल-तरंग;

(दो) पियानो, हारमोनियम, ग्रामोफोन, तबला, खंजरी, ढोलक और मृदंग;

* म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4-1-1986 में प्रकाशित।

(तीन) ट्रांजिस्टर, रिकार्डप्लेअर, स्टीरियो या रेडियो, जहाँ तक कि केवल संगीत कार्यक्रमों का सम्बन्ध है।

3. कतिपय दशाओं में मंद संगीत का प्रतिषेध— (1) धारा 2 के खंड (च) के उपखंड (दो) तथा (तीन) में वर्णित वाद्यों पर या उनसे अपराह्न 10 बजे तथा पूर्वाह्न 6 बजे के बीच किसी की लोक स्थान में मंद संगीत नहीं बजाया जायेगा।

(2) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई भी बात, परिवेष्टित क्षेत्रों के भीतर या घर के भीतर बजाये गये मंद संगीत भी तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसे मंद संगीत की परिणति कोलाहल में न होती है।

4. तीव्र संगीत का प्रतिषेध— अपराह्न 10 बजे तथा पूर्वाह्न 6 बजे के बीच किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया या बजवाया नहीं जायेगा।

5. ध्वनि विस्तारक के उपयोग के संबंध में साधारण निर्बन्धन— (1) अपराह्न 10 बजे तथा पूर्वाह्न 6 बजे के बीच के समय ध्वनि विस्तारक चलाया या चलवाया नहीं जायेगा।

(2) ध्वनि-विस्तारक: उपधारा (1) वर्णित समय से भिन्न किसी समय पर भी—

(क) किसी मनोरंजन, व्यापार या कारबार का विज्ञापन करने के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य वाणिज्य आख्यापन के लिये चलाया या चलवाया नहीं जायेगा :

तुरन्त स्थानीय प्राधिकरण या जहाँ कोई स्थानीय प्राधिकरण न हो, वहाँ विहित प्राधिकारी किसी युक्तियुक्त हेतुक से, पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये ध्वनि विस्तारक का उपयोग ऐसे घंटों के बीच, जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, किये जाने की अनुज्ञा ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों पर दे सकेगा जो कि विहित की जाएँ;

(ख) किसी खुले स्थान या लोक-स्थान में रिकार्ड या टेप किया हुआ संगीत बजाने के लिये चलाया या चलवाया नहीं जायेगा;

(ग) किसी चिकित्सालय, उपचर्या-गृह (नर्सिंग होम), दूरभाष केन्द्र (टेलीफोन एक्सचेंज), न्यायालय, शिक्षण-संस्था तथा उनके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया नहीं जायेगा :

परन्तु जहाँ कोई ध्वनि विस्तारक उपर्युक्त दूरी से परे चलाया या चलवाया जाता है, वहाँ उसके वाल्यूम को इस प्रकार विनियमित किया जायेगा कि जिससे उपर्युक्त संस्थाओं को कोई विघ्न न पहुँचे या न्यूसेन्सकारित न हो।

6. श्रृङ्गाकार (हार्न टाइप) ध्वनि विस्तारक के उपयोग पर निर्बन्धन— श्रृङ्गाकार ध्वनि-विस्तारक का उपयोग उस स्थिति में प्रतिषिद्ध है जबकि उसका उपयोग किये जाने की अनुज्ञा विहित प्राधिकारी द्वारा न दी गई हो।

7. ध्वनि-विस्तारक का चलाया जाना— (1) धारा 5 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये विहित प्राधिकारी, निम्नलिखित परिस्थितियों में, ध्वनि-विस्तारक चलाये जाने की अनुज्ञा, उसके साथ लगाए गए निर्बन्धनों के साथ दे सकेगा :—

(क) ऐसे बंद कमरों तथा परिवेष्टित परिसरों के भीतर, जो जनता के लिये खुले हों, ध्वनि-विस्तारक उस सीमा तक चलाया जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा जहाँ तक कि कोलाहल ऐसे बंद कमरों या परिवेष्टित परिसरों से बाहर न जाता हो;

(ख) ऐसे परिसरों में, जो कि या तो खुले हों, या सभी ओर से बंद न हों, लकड़ी के केबिनेट में बंद केवल शंकु (कोन) आकार का ध्वनि-विस्तारक चलाये जाने की अनुज्ञा दी जायेगी और ध्वनि-विस्तारक इस प्रकार लगाया जायेगा कि जिससे ध्वनि का प्रक्षेपण निकटतम भवन से परे न हो।

(2) विहित प्राधिकारी ऐसे समस्त मामलों में, जिसमें ध्वनि विस्तारक चलाये जाने की अनुज्ञा दी गई है, ध्वनि विस्तारक चलाये जाने की अवधि जो किसी भी एक दिन में छह घण्टे से अधिक नहीं होगी, विनियमित कर सकेगा, और ध्वनि विस्तारक ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के दौरान और ऐसी शर्तों के अधीन चलाया जायेगा जैसा कि कोलाहल रोकने के लिये विहित की जाएँ।

(3) विहित प्राधिकारी इस धारा के अधीन कि अनुज्ञा या तो साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये या किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये दे सकेगा।

8. ध्वनि-विस्तारक का लोक प्रयोजनों के लिये या आख्यापनायें करने के लिये उपयोग— धारा 5, 6 तथा 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, ध्वनि-विस्तारक सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आख्यापनायें करने या सार्वजनिक सभाओं के प्रयोजनों के लिये या विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये चलाये जा सकेंगे।

9. शंकु आकार (कोन टाइप) का ध्वनि विस्तार चलाने के लिये अनुज्ञा— धारा 5, 6 तथा 7 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, लकड़ी के केबिनेट में बंद शंकु आकार के ध्वनि-विस्तारक का किसी प्राइवेट भवन के परिवेष्टित परिसर के भीतर चलाया जाना अनुज्ञात है, बशर्ते इस प्रकार चलाये जाने की परिणति कोलाहल में न होती हो।

10. किसी भी प्रकार के कोलाहल का लोकहित में प्रतिषेध— (1) अपराह्न 11 बजे तथा पूर्वाह्न 6 बजे के बीच के समय किसी प्रकार का कोलाहल प्रतिषिद्ध है।

(2) विहित प्राधिकारी, समाधान हो जाने पर कि उसकी राय में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है किसी भी अन्य समय पर, किसी भी स्थान में किसी भी प्रकार के कोलाहल का प्रतिषेध लिखित आदेश द्वारा उसके लिए कारण लेखबद्ध करते हुए, कर सकेगा।

11. मोटरयानों से उत्पन्न होने वाले कोलाहल के संबंध में विशेष उपबंध— (1) कोई भी मोटरयान किसी लोक सड़क पर किसी लोक-स्थान में तब तक चलाया या उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि निकास टंकी (एक्जास्ट सिस्टम) को इस प्रकार समुचित रूप से न ढंक दिया गया हो कि जिससे यान से कोलाहल उत्पन्न न हो।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी यान से कोई विद्युत या यांत्रिक भोंपू (हार्न) इस प्रकार नहीं बजायेगा कि जिससे उसके सामीप्य में पैदल चलने वाले व्यक्ति या किसी यान का चालक तथा उस यान में यात्री घबड़ा जाएँ या उन्हें संत्रास या क्षोभकारित हो।

12. उपबन्धों का शिथिलीकरण— किसी संभाग का आयुक्त, किसी युक्तियुक्त हेतुक से धारा 4, 5, 6 तथा 7 के उपबंधों को ऐसी सीमा तक, जैसी कि वह आवश्यक समझे, शिथिल कर सकेगा।

13. छूट— (1) इस अधिनियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

(एक) नीचे उल्लिखित राष्ट्रीय और सामाजिक समारोहों तथा धार्मिक उत्सवों के अवसरों को—

1. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
2. वसन्त पंचमी

3.	महाशिवरात्रि	4.	होली और रंगपंचमी
5.	गुड़ी-पड़वा	6.	चैती चांद
7.	रामनवमी	8.	बैसाखी
9.	महावीर जयन्ती	10.	डॉ. अम्बेडकर जयन्ती
11.	बुद्ध-पूर्णिमा	12.	नागपंचमी
13.	ईदुल-फितर	14.	रक्षाबंधन
15.	स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	16.	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
17.	गणेश चतुर्थी से अनंत चौदस तक	18.	सर्वपितृमोक्ष अमावस्या
19.	गांधी जयन्ती (2 अक्टूबर)	20.	दुर्गा पड़वा से दशहरा तक
21	दीपावली	22.	भाई-दूज
23.	गुरुनानक जयन्ती	24.	मिलाद-उन-नबी
25.	गुरु गासीदास जयन्ती	26.	क्रिसमस डे
27	मोहर्रम (तारीख 1 से 10 तक)	28.	ईद-उल-जुहा

29. गुड-फ्राइडे; और

(दो) धार्मिक स्थानों तथा परिसरों पर ध्वनि-विस्तारक के उपयोग को जहाँ कि ऐसा उपयोग परम्परा के रूप में किया जा रहा है।

(2) विहित प्राधिकारी, उसे किये गये लिखित आवेदन, पर ऐसी कालावधि के लिये, ऐसे अवसरों पर और ऐसे क्षेत्रों में, जैसा कि अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट किया जाये, धारा 4, 5, 6 तथा 7 के उपबन्धों में छूट दे सकेगा।

14. अपराधों का असंज्ञेय तथा जमानतीय होना— इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध असंज्ञेय तथा जमानतीय होंगे।

15. शास्ति— (1) जो कोई, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन किये जाने का दुष्प्रेरणा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये पूर्व में दोषसिद्धि ठहराया जाने पर ऐसे कोई अपराध तत्पश्चात् करेगा और उसके लिये दोषसिद्ध ठहराया जायेगा; वह उस दण्ड से, जो इस अधिनियम के अधीन प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित किया जा सकता हो, दुगुने दण्ड से दण्डनीय होगा।

16. ध्वनि विस्तारक का अभिग्रहण करने की शक्ति— (1) हेड कांस्टेबल की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई भी पुलिस अधिकारी, ऐसे ध्वनि-विस्तारक को, जिसका उपयोग इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किया गया हो, अभिगृहीत कर सकेगा।

(2) ऐसा पुलिस अधिकारी या कोई न्यायालय, जिसके कि समक्ष वह ध्वनि-विस्तारक पेश किया गया, उसे उसके कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त कर सकेगा या व्यक्ति यथास्थिति उस पुलिस अधिकारी या न्यायालय के समाधानप्रद रूप में प्रतिभुओं सहित

या रहित, एक बंधपत्र यह वचनबद्ध करते हुए निष्पादित कर देता है कि वह उस ध्वनि-विस्तारक को, जब कभी भी इससे वैसा करने की अपेक्षा की जाये, पेश करेगा।

(3) अनुज्ञापत्र का कोई धारक या ऐसे धारक के नियोजन में तथा उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, जो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा माँग की जाने पर ऐसा अनुज्ञा-पत्र पेश करने में असफल रहेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

17. कतिपय दशाओं में ध्वनि विस्तारक के समग्रहरण का आदेश देने की शक्ति— अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, दोषसिद्धि पर, उस ध्वनि-विस्तारक को सरकार के पक्ष में समर्पहृत किये जाने का आदेश दे सकेगा।

18. कोलाहल प्रतिबन्धित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित करने की शक्ति— जिला मजिस्ट्रेट जहां कि वह लोकहित में ऐसी कार्यवाही करना आवश्यक समझता है, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से सभी प्रकार के कोलाहल का ऐसी कालावधि तथा समय के लिये जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रतिषेध करते हुए, कोलाहल प्रतिबन्धित क्षेत्र (जोन्स आफ साइलेंस) विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

19. नियम बनाने की शक्ति— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिन पर धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के परन्तुक के अधीन ध्वनि-विस्तारक का उपयोग करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी;

(ख) वह रीति जिसमें, वह समय जिसके दौरान वे शर्तें जिनके अधीन धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा दी जा सकेगी;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो विहित किया जाये।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

20. निरसन— मध्यप्रदेश ध्वनि तथा कोलाहल नियंत्रण, विधान संवत् 2008 (क्रमांक 14 सन् 1951) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।